क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13/11/20[illegible]	पत्रावली पेश की गई [illegible] प्रतिवादी [illegible] की ओर [illegible] [illegible] रिपोर्ट हेतु 20/11/20[illegible] को पेश हो।
	20/11/20[illegible]	पत्रावली पेश की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
		उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Reader
Pl. examine & report
Sd/-
19/3/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय सांगानेर

वाद पत्र संख्या 58 / 2023

वाद पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता

रिंपिका गुप्ता पुत्री श्री सी.एल. गुप्ता, जाति महाजन, निवासी– 44 ऋषि भारद्वाज मार्ग, कारपेट महल के पास, गोविन्दनगर, पूर्वी आमेर रोड, जयपुर राजस्थान।

वादी[illegible]

बनाम,

1. संजीव मुदगल पुत्र शिवकुमार मुदगल, जाति ब्राम्हण, निवासी– 871/[illegible] डी.एल.एफ. कॉलोनी, रोहतक हरियाणा
2. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, तह. आमेर, जिला जयपुर।
3. पंजीयक महोदय, तहसील आमेर, जिला जयपुर

प्रतिवा[illegible]

<u>वाद पत्र बाबत तकाशमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

श्रीमान जी,

वादी की ओर से निम्नलिखित वाद पत्र प्रस्तुत है:–

1. यह है कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के स्वामित्व की खा[illegible] ग्राम किशनपुरा उर्फ खातीपुरा, पटवार हल्का कपूरावाला भू[illegible] मुहाना तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है जिसका[illegible] **संख्या 101 पुराना खाता संख्या 84** में खसरा संख्या 318[illegible] **कुल खसरा 1 कुल रकबा 0.72 हैक्ट.** खातेदारी भूमि है। [illegible] एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर–बराबर 1/2–1/2 हि[illegible] तथा शामलाती खातेदारी भूमि में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्[illegible] रूप काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते रहे है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:53:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

...री का नामः– हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.

...58/2023

...20.11.2024

...गुप्ता पुत्री श्री सी.एल. गुप्ता, जाति महाजन निवासी– 44 ऋषि भारद्वाज मार्ग, कारपेट ... के पास, गोविन्दनगर, पूर्वी आमेर रोड, जयपुर, राजस्थान

वादी

बनाम

...जीव मुदगल पुत्र शिवकुमार मुदगल जाति ब्राह्मण, निवासी– 871/23 डी0एल0एफ. कॉलोनी, रोहतक, हरियाणा

राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

...जीयक महोदय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकासमा अंतर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

निर्णय

... बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ... किया। न्यायालय द्वारा वादिनी के वाद में दिनांक 05.04.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर ...दार सांगानेर को निर्देशित किया गया कि वाद ग्रस्त भूमि का उभयपक्षों की उपस्थिति में भूमि का ...ट्स एवं बाउण्डस एवं राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर तकासमा किया जाकर वादिया एवं प्रतिवादी ... 1 का हक व हिस्सा एवं भूमि का लगान अलग से कायम किया जावे। तथा खाता अलग–अलग ... किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन–तीन प्रतियों में तैयार करवारकर इस न्यायालय को ... 16.05.2024 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमांकः .../कुर्रेजात/2024/8320 दिनांक 07.10.2024 के संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में ... की, जो शामिल मिसल है। दिनांक 13.11.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ... निवेदन किया गया कि दक्षिण दिशा में छोडी गई शामलाती भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के ...ग–उपभोग करने लायक नहीं रहेगी, इसलिए शामलाती छोडी गई भूमि या तो वादिनी के हिस्से में ... जावे और यदि वादिनी सहमत नहीं है तो प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजीयात के दक्षिणी हिस्से तथा ...लाती भूमि को अपने हिस्से में लेने को तैयार है।

... वाद में उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। हमने बहस उपस्थित अधिवक्तागण पर मनन ...या व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये जाने पर कुर्रेजात रिपोर्ट में संशोधन के ...धार पर सहमति दिये जाने से वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाद में अन्तिम डिक्री पारित किया ...ना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 318 रकबा ... कुल किता 01 रकबा 0.72 ...क्टयर वाके ग्राम किशनपुरा उर्फ खातीपुरा, पटवार हल्का ...ला, ...अ0नि0 मुहाना, तहसील सांगानेर ...जिला जयपुर में स्थित है, का विभाजन मुताबिक ... रिपोर्ट अनुसार निम्न ...प्रकार किया जाता है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:53:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ... अनुसार

क्र0स0	खसरा नंबर	रकबा	किस्म जमीन	लगान खातेदार का नाम मय पिता
1.	318	0.72	चाही.ए जाव. ए	रिषिका गुप्ता पुत्री सी0एल0 गुप्ता हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा. 44 गोविन्द नगर ईस्ट अजमेर रोड, जयपुर खातेदार संजीव मुदगल पुत्र शिवकुमार मुदगल हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण निवासी 871/23 डीएलएफ कॉलोनी, रोहतक, हरियाणा खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज

सरा बर	रकबा	खातेदार का नाम मय पिता	किस्म जमीन	वि.वि.
18 ...न	0.36	रिपिका गुप्ता पुत्री सी0एल0 गुप्ता हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा0 44 गोविन्द नगर ईस्ट अजमेर रोड, जयपुर खातेदार	चाही.ए जाव. ए	दक्षिणी हिस्सा
... मिन	0.36	संजीव मुदगल पुत्र शिवकुमार मुदगल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण निवासी 871/23 डीएलएफ कॉलोनी रोहतक हरियाणा खातेदार	चाही.ए जाव. ए	उत्तरी हिस्सा

सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक ...र्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति ...न उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किये जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को मिजवाई जावे। ... अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर वाद तकमील ...

दिनांक 20.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:53:36 IST
Reason: SelfAttested